# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—233/2017/223 (2017/00233)

1. गिरधरदत्त उपाध्याय पुत्र स्व0 गिरीशदत्त, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मकरेड़ा, तह0 पीसांगन, हाल निवासी सुनील विश्नोई (पूर्व विधायक) के मकान के पीछे, ईदगाह रोड़, वैशाली नगर, अजमेर ।

**अपीलांट/मूल प्रतिवादी संख्या 2**

**बनाम**

1. श्रीमती ज्ञानेश देवी पत्नी स्व0 अनिलदत्त, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम मकरेड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम तरनाऊ, तह0 जायल, जिला नागौर ।
2. दीपक दत्त पुत्र स्व0 अनिलदत्त, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम मरेड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

**प्रत्यर्थीगण/मूल वादीगण**

3. अजयदत्त उर्फ अज्जूदत्त पुत्र स्व0 गिरीशदत्त, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम मकरेड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

**प्रत्यर्थीगण/मूल प्रतिवादी संख्या 1 व 3**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 13.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 3/2016.**

उपस्थितः—

1. श्री विभोर गोड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 3.
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4.

## निर्णय

दिनांकः— 18.10.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रत्यर्थी संख्या 1 2/मूल वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की

पुश्तैनी संयुकत खातेदारी आरी है जो कि ग्राम मकरेड़ा, तहसील पीसांगन जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नंबर 1109/3121, एवं खसरा नंबर 1111 रकबा क्रमशः 0.13 है0 एवं 0.52 है0 कुल रकबा 0.65 है0 है, जिसमें से वादीगण का 1/3 हिस्सा आता है एवं अन्य खसरा नंबर 562, 563, 563/3609, 582/3063, 1325, 1326, 1327, 1328, 2579, 2862, 2870 कुल रकबा 12.74 है0 जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा आता है । वादीगण ने आगे कथन किया कि प्रतिवादीगण फसल काश्त के समय झगड़ा, करने पर आमादा रहते है इस कारण उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है । उक्त वादपत्र में यह भी अभिवचित किया गया कि उपरोक्त आराजी में से खाता संख्या 96 पुराना व नया 107 की भूमि यानि कि खसरा नंबर 1109/3121 व 1111 वादीगण के पिता अनिदत्त पुत्र गिरीशदत्त के नाम आज दिनांक तक चली आ रही है जिसका कि वादीगण के नाम विरासत खोलकर वादीगण को उसका पृथक से हिस्सा दिलाया जावे व यह तथ्य भी वर्णित किया कि प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है एवं भूमि को अपनी बताकर गैर कानूनी रूप से बेचान किये जाने व भूमि पर मकान इत्यादि निर्माण करने तथा रास्ता बंद करने पर आमादा है जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जबकि वादीगण बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त है जिसका इस पुश्तैनी भूमि पर हक अधिकार बनता है । अतः वाद स्वीकार कर वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित संपूर्ण आराजी पर वादीगण के खातेदारी अधिकार में आने वाली भूमि बाबत् विभाजन तक प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे तथा वादीगण के निरन्तर कब्जे काश्तें में चली आ रही भूमि का पृथक रूप से बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में स्वतंत्र खाता सृजित किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 को निर्णय पारित कर वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमि डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वाद को कैम्प कोर्ट मकरेड़ा में बिना अपीलांट व अन्य पक्षकासरान की मौजूदगी में, बिना कोई स्वीकृति/सहमति लिये मात्र कयासों के आधार पर सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि अपीलांट के अधिवक्त ने दिनांक 13.6.2016 को आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रकरण की आराजी पुश्तैनी आराजी है जिसमें पुश्तैनी आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 की बहन का भी पुश्तैनी हिस्सा निहित है इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जावे । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मात्र यह विवेचन कर निर्णय पारित किया कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रतिवादी संख्या 2 की बहन होने का कोई तथ्य, दस्तावेज पेश नही किया गया है एव ना ही शपथ पत्र पेश किया गया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना केवल मात्र पैरोकार सरकार के मौखिक निवेदन को मानकर आक्षेपित डिक्री पारित की है जो विधिक सिद्धांतों एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से निरस्तनीय है । कैम्प कोर्ट में राजीनामे के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है जबकि दोनों पक्षों की ओर से दिनांक 13.6.2016 को कैम्प कोर्ट मकरेड़ा में उपस्थिति प्रदान नहीं की थी । वादग्रस्त आराजी बाबत् वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में ही लिखित पारिवारिक बंटवारा दिनांक 15.2.2000 को हो चुका है जिसे आज भी वादी व प्रतिवादी मानते है व इस बात पर सहमत है कि इस बंटवारानामा के अनुसार वादग्रस्त

आराजी का बंटवारा कर दिया जावे । इस हेतु पक्षकारान इस राजीनामे के जरिये सहमत हो चुके है । उक्त पारिवारिक बंटवारे की प्रति अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध करा दी थी इसके बावजूद इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई । अधी0न्याया0 का निर्णय बंटवारानामा दिनांक 15.2.2000 के विपरीत है है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया तथा प्रकरण को कैम्प में रखकर निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने भूमि किस्मम, मूल्य एवं लगान के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है यदि अपीलांट का कोई आपत्ति थी तो वे बरवक्त कुरेजात रिपोर्ट पेश कर सकते है । जहां तक तथाकथित पारिवारिक समझौते का प्रश्न है जो अपंजीकृत होने से स्वीकार्य नहीं है एवं पक्षकारान उससे सहमत भी नहीं है । अपीलांट ने मात्र फोटो प्रति पेश की है जो रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल नियम 75–ए के तहत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1997 पेज 68 हाई कोर्ट, आर0एल0डब्ल्यू0 2007 पार्ट–1 पेज 443, आर0आर0डी0 1999 पेज 98, 152, 389 हाई कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत दिनांक 5.2.2016 को प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने के आदेश पारित कर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.3.2016 नियत की । दिनांक 30.3.2016 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित हुए । तत्पश्चात् वाद में आगामी पेशी दिनांक 29.4.2016 को पेशी नियत की गई । तारीख पेशी दिनांक 29.4.2016 को प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 5.8.2016 नियत की गई किन्तु वाद को आगामी नियत पेशी दिनांक 5.8.2016 से पूर्व पत्रावली दिनांक 13.6.2016 को कैम्प कोर्ट मकरेड़ा में नियत कर वाद में बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 13.6.2016 को कैम्प कोर्ट में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र वास्ते जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने बाबत् पेश किया है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट/प्रतिवादी को जवाब का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा प्रतिवादीगण का जवाब बंद किये बिना वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की है । अपीलांट ने अपील के साथ पक्षकारान के मध्य हुए पारिवारिक बंटवारा दिनांक 15.2.2000 की फोटो प्रति पेश की है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार, पीसांगन को लिखे पत्र दिनांक 4.7.2017 की प्रति भी पेश की है जिस पर वादिया ज्ञानेश देवी के भी हस्ताक्षर है । उक्त पत्र में पारिवारिक बंटवारा दिनांक 15.2.2000 के अनुसार राजीनामे के क्रम में वादग्रस्त आराजियात का विधिक बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का निवेदन किया गया है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.6.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/प्रतिवादी को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा पक्षकारान के मध्य पूर्व में हुए पारिवारिक बंटवारे के संबंध में उभयपक्ष को सुनकर वाद में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर